

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी

:: विविध-आदेश ::

क्रमांक- 71 / एक-5-3 / 88

सीधी, दिनांक- 14 / 06 / 2022

मैं अमिताभ मिश्र, प्रधान जिला न्यायाधीश सीधी, मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सिविल जिला सीधी के लिए इस संबंध में पूर्व के विविध आदेश क्रमांक 01/एक-5-3/88 दिनांक 06.01.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्यालय सीधी हेतु "शासन के विरुद्ध सहायता चाहने वाले आवश्यक पक्षकार के ऐसे दावे" जिनका मूल्य शून्य से एक करोड़ रुपये तक हो, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सीधी के न्यायालय में दायर किये जाएंगे।

उक्त आंशिक संशोधित कार्य विभाजन पत्रक तत्काल प्रभावशील होगा। शेष आदेश/निर्देश एवं चार्ज प्रभार सिविल जिला सीधी के लिए वर्ष 2022 में जारी सिविल कार्य विभाजन पत्रक का विविध-आदेश क्रमांक 01 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार रहेगा।

(अमिताभ मिश्र)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)

पृ.क.- 17163 / एक-5-3 / 88

सीधी, दिनांक 14 / 06 / 2022

प्रतिलिपि:-

1. प्रथम/द्वितीय/तृतीय, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सीधी,
2. तृतीय/चतुर्थ/चतुर्थ अतिरिक्त, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सीधी,
3. रीडर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी
..... की ओर संशोधित सिविल कार्य विभाजन आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सीधी की ओर संशोधित सिविल कार्य विभाजन आदेश की प्रति सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग सीधी की ओर इस न्यायिक स्थापना की वेबसाइट एवं समस्त संबंधितों की ईमेल आई.डी. पर अपलोड कराए एवं केन्द्रीय दायरा पंजियक लिपिक को निर्देशित किए जाने हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)